राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेखुपरा, पटना

दवा क्रय के संबंध में वित्तीय दिशानिर्देश

कार्यक्रम का नाम- B.16 Procurement

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष - General Drugs & Supplies for Health Facilities

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० कोड संख्या - B.16.2.5

राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाओं के क्रय हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में दवा मद में 45 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा दवा क्रय मद में प्रदत्त राशि का जिलावार आवंटन जिलों की जनसंख्या (4.33/- प्रति व्यक्ति) के आधार पर किया गया है। सभी संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति इस आवंटित राशि से अपने-अपने जिलों की आवश्यकतानुसार दवाओं का क्रय कर सकेगी।

बिहार सरकार, वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या एम 4-35/2002/2473 दिनांक 11.04.2007 के द्वारा पूरे राज्य के लिए दवा एवं उपकरण की दर एवं गुणवत्ता में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-129 के अंतर्गत **"राज्य स्वास्थ्य समिति"** को पूरे राज्य के अंतर्गत दवा एवं स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों के क्रय हेतु दर निर्धारण करने के लिए **"राज्य क्रय संगठन"** नामित किया गया है। इसी के आलोक में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में निर्दीष्ट (Specific) दवायें क्रय करने हेतु दवाओं का दर निर्धारण कर दर निर्धारित सूची सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जा रहा है।

जिला स्वास्थ्य समिति रोगियों के उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों हेतु दवाओं का क्रयादेश निर्गत करने के पूर्व अपने जिला के प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थानों में विगत तीन वर्षो में मरीजों के उपचार में औषधिवार हुयी खपत का आकलन कर एक वर्ष के लिए प्रत्येक औषधी की आवश्यकता का आकलन करेगी। तद्नुसार छः माह के खपत की मात्रा के क्रय हेतु जिला द्वारा संबंधित निर्माता संस्थान/स्थानीय डिपो को क्रयादेश भेजा जायेगा।

दूसरा क्रयादेश तीन-चार माह पश्चात दो-तीन माह का Buffer Stock रखते हुये जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा आवश्यक दवाओं की क्रय हेतु पुनः अगले छः माह के लिए औषधियों का क्रयादेश भेजना सुनिश्चित किया जाए।

निर्माता संस्थान के स्थानीय डिपों को क्रयादेश प्राप्त होने के पॉच दिनों के अंदर निर्माता संस्थान/डिपो के द्वारा व्ययादेशित औषधियों का Proforma Invoice निर्गत किया जाएगा।

प्रथम क्रयादेश निर्गत होने के 45 दिनों के अंदर तथा उसके बाद के क्रयादेशों के निर्गत होने के 20 दिनों के अंदर निर्माता संस्थान/स्थानीय डीपो द्वारा औषधियों का आपूर्ति किया जाएगा। इसके लिए संबंधित जिले के जिला स्वास्थ्य समिति Proforma Invoice में अंकित व्ययादेशित औषधियों की राशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक के साथ Cash & Carry प्रक्रियानुसार दवा का क्रय करेगी। **विदित हो कि व्ययादेशकर्ता पदाधिकारी द्वारा व्ययादेशित दवाओं की शत प्रतिशत दवायें फर्म द्वारा आपूर्ति करने के पश्चात ही बैंक ड्राफ्ट/चेक आपूर्तिकर्ता को हस्तगत कराया जाये। किसी भी परिस्थिति में आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम रूप में बैंक ड्राफ्ट अथवा राशि उपलब्ध नहीं कराया जाए। अग्रिम रूप में बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध कराने एवं व्ययादेशित औषधियों आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति नहीं करने एवं राशि रखने पर संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति/सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक जिम्मेवार होगें। फर्म द्वारा सरकारी राशि रखने पर उस राशि की कटौती संबंधित सिविल सर्जन के वेतन/सेवानिवृति लाभांश एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा**

जिला लेखा प्रबंधक के मानदेय से किया जाएगा। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय पत्रांक 11662 दिनांक 20.8.2009 एवं कार्यालय पत्रांक 12630 दिनांक 23.10.2009 का स्मरण कर तदनुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगें।

प्रोफार्मा इन्वायस में अंकित राशि अथवा व्ययादेशित औषधियों के क्रय राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेवारी सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुये संबंधित सिविल सर्जन/जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक की समान रूप से होगी।

औषधियों की उपलब्धता का अनुश्रवण करने के क्रम में नामित आवश्यक औषधियों की कमी पाये जाने पर संबंधित जिले के सिविल सर्जन/चिकित्सा पदाधिकारी दवा भंडार/जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक जिम्मेवार होगें।

जिला स्वास्थ्य समिति अपने स्तर से औषधियों/चिकित्सीय सामग्रियों का क्रय करेगी तथा प्राप्त औषधि/चिकित्सीय सामग्रियॉं जिला स्वास्थ्य समिति के भंडार पंजी में प्रविष्टि की जाएगी। आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा औषधि चिकित्सीय सामग्रियॉं सीधे सिविल सर्जन/सर्जेंसी के औषधि भंडार में हस्तगत कराया जायेगा एवं जिला औषधि भंडार अपने दवा भंडार पंजी में प्रविष्टि करेगी। आपूर्ति किये गये औषधि/चिकित्सीय सामग्रियों का सत्यापन बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग के विभागीय आदेश संख्या 9/क्रय 2-37/97-770(9)/2006 दिनांक 8.07.2006 में निहित निर्देशों के तहत जिला पदाधिकारी द्वारा नामित दंडाधिकारी के द्वारा कराया जाएगा। विभिन्न अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों पर जिला से दवा आपूर्ति होने पर उसका पुनः सत्यापन जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी से कराया जाएगा। चिकित्सा पदाधिकारी औषधि भंडार/औषधि भंडार के भंडारपाल यह सुनिश्चित करेगें कि आपूर्ति की गई प्रत्येक औषधियों पर बिहार सरकार का logo एवं Bihar Govt. Supply-Not for sale अंकित हो। इस संबंध में बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग के विभागीय आदेश संख्या 9/क्रय 2-37/97-770(9)/2006 दिनांक 8.07.2006 प्रभावी रहेगा।

दवा क्रय से संबंधित अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश के लिए बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग का विभागीय संकल्प संख्या 9/क्रय 2-37/97-764(9) दिनांक 4.7.2006 प्रभावी माना जायेगा।

सिविल सर्जन तथा जिला स्वास्थ्य समितियों का यह दायित्व होगा कि औषधि के क्रय के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदत्त राशि एवं बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवंटित राशि से अधिक का औषधि/चिकित्सीय सामग्री क्रय नहीं किया जाये।

अपर कार्यपालक निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना

(370)